रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 7, 1984/पौष 17, 1905

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984/PAUSA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

का० आ० 10(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/84 — केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 602(अ)-18कक/आई०डी०आर०ए०/74, तारीख 9 अक्तूबर, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति निकाय को मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, का प्रबन्ध 9 अक्तूबर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 567 (अ) 18कक/आई० डी०आर०ए०/78, तारीख 25 सितम्बर, 1978 द्वारा उक्त व्यक्ति निकाय के स्थान पर उक्त औद्योगिक उपक्रम के मुख्य अधिशासक श्री पी० एन० रामचन्द्रन को प्रतिस्थापित किया गया था, और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 866(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 29 अक्तूबर, 1980 द्वारा श्री के० एम० बैनर्जी, उप महाप्रबन्धक, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 572 (अ)/18कक/आई० डी०आर०ए०/79, तारीख 8 अक्तूबर, 1979, का०आ० 738 (अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 6 अक्तूबर, 1981, का० आ० 263 (अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 8 अप्रैल, 1982, का० आ० 719 (अ)/18कक/आई० डी०आर०ए०/82, तारीख 8 अक्तूबर, 1972, का०आ० 8(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 7 जनवरी, 1983, का०आ० 282 (अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 8 अप्रैल, 1983 और का०आ० 718 (अ)/18कक/आई० डी०आर०ए०/83, तारीख 7 अक्तूबर, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 8 जनवरी, 1984 तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए;

अत., केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश के 8 अप्रैल, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2(23)/79-सी० यू० एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th January, 1984

No. S.O. 10(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602(E)|18AA|IDRA|74, dated the 9th October, 1974 (hereinafter referred to as the said Order) made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised a body of persons specified therein to take over the management of Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, for a period of five years commencing from 9th October, 1974 and the said body of persons was replaced by Shri P. N. Ramachandran, Chief Executive of the said industrial undertaking by Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 567(E)|18AA|IDRA|78, dated the 25th September, 1978 and by Shri K. M. Banerjee, Deputy General Manager, Bharat Heavy Electricals Limited, Calcutta, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 866(E)|18AA|IDRA|80, dated the 29th October, 1980, to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 572(E)|18AA|IDRA|79, dated the 8th October, 1979, No. S.O. 738(E)|18AA|IDRA|81, dated the 6th Oct. 81, No. S.O. 263(E)|18AA|IDRA|82, dated the 8th April, 1982, No. S.O. 179(E)|18AA|IDRA|82, dated the 8th October, 1982, No. S.O. 8(E)|18AA|IDRA|83, dated the 7th January, 1983, No. S.O. 282(E)|18AA|IDRA|83, dated the 8th April, 1983, and No. S.O. 718(E)|18AA|IDRA|83, dated the 7th October, 1983 the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th January, 1984;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulatian) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th April, 1984.

[File No. 2(23)|79-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984